07.02.2023 को पेश हुआ

5.01.23

पत्रावली सहायक कलेक्टर की अदालत पर पेशी के लिए आई। वकील आवेदक व अभि. पक्ष में आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण के तथ्य काल्पनिक है अतः पत्रावली को स्टेज पर Not press (खारिज) मांग का निवेदन किया है। पत्रावली व आवेदनपत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। आवेदन में दीखता किया जाता पत्रावली को स्टेज पर NOT press (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नकल के साथ की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा